# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बड़गोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–54 / 2023
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–29.08.2023
निर्णय दिनांक–20.11.2025

1. भंवरसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. महेन्द्र सिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. श्योकरण पत्नि स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. शैतान सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. चांदबाई पुत्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. पिताम्बर एग्रो फूड्स प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ–174, फ्लेट नं. एस–103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज0)

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. तहसीलदार तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. पटवारी, पटवार हल्का ग्राम सोहेला
3. भू.अभिलेख निरिक्षक सोहेला

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0
अप्रार्थी संख्या 01 व 02–अनुपस्थित
प्रतिपक्षीगण–पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

## प्रार्थना पत्र शीट दुरूस्ती किये जाने बाबत्

## अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट.

## निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 1235 रकबा 0.0506 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला, पटवार हल्का सोहेला, तह0 पीपलू में स्थित है। जिसमें

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

प्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 का 3/4 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 06 का 1/4 हिस्सा था। वर्तमान में उक्त भूमि ख0न0 1235 का तकासमा व होने के कारण उक्त भूमि के टुकडे होकर भूमि ख0न0 2811/1235 रकबा 0.0380 हैक्ट. प्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के नाम व ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. प्रार्थी संख्या 06 के नाम व ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त ख0न0 की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियो ने गलत रूप से तरमीम कर दी गई। जिसको दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त भूमि की तरमीम करते समय भूमि आराजी ख0न0 2811/1235 की तरमीम कम कर दी गई तथा जहां पर गै.मु. रास्ता तरमीम करना था। उसके स्थान पर प्रार्थी संख्या 06 की खातेदारी दर्ज कर दी गई। उसके पश्चात गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जबकि प्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 व प्रार्थी संख्या 06 के मध्य रास्ते की तरमीम करनी थी, लेकिन प्रार्थीगण नक्शा शीट में समझ नही रखते है। इस कारण अप्रार्थीगण ने गलत रूप से बिना मौका देखे ही नक्शा शीट में तरमीम कर दी गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी संख्या 06 ने 0.0090 हैक्ट. भूमि अपने नाम पूर्व में स्थित रास्ते के सामने की थी, लेकिन गलत रूप से दुसरी दिशा में जाकर लगभग 90 मीटर के स्थान पर 315 मीटर अर्थात 0.0315 हैक्ट. भूमि गै.मु. रास्ते के रूप में तरमीम कर दी गई, जो गलत है। जिसको निरस्त किया जाकर पुनः मौके के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0न0 2811/1235 रकबा 0.0380 हैक्ट. व ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. एवं ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. गै.मु. रास्ते वाके ग्राम सोहेला की अप्रार्थीगण द्वारा गलत की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके व रकबे के अनुसार नक्शा शीट में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। प्रतिपक्षीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके ग्राम सोहेला के आराजी ख0न0 2811/1235 रकबा 0.0380 हैक्ट. चान्दबाई पुत्री मूलसिंह हि. 2/9, शैतानसिंह पुत्र मूलसिंह हि. 5/9, भंवर सिंह पुत्र विजयसिंह हि. 2/27, महेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह हि. 2/27, श्योकंवर पत्नि स्व. विजय सिंह हि. 2/27 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा मालपुरा हिस्सा भंवरसिंह, महेन्द्र सिंह व श्योकंवर का दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिस पर उक्त खातेदारान् काबिज है। ग्राम सोहेला, प.म. सोहेला के आराजी ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. पिताम्बर एंग्रो फूड्स प्रा0 लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ–174, फ्लेट नं. एस–103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ग्राम सोहेला पटवार हल्का सोहेला के आराजी ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू के वाद संख्या 38/2022 निर्णय दिनांक 24.05.2022 के द्वारा आराजी ख0न0 1235 रकबा 0.0506

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

हैक्ट. में से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अनतर्गत धारा 53, 92 ए, 188 तकासमा आराजीयात अनुसार ख0न0 1235/1 (2810/1235) पिताम्बर एग्रो फूड्स प्रा.लि. लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ–174, फ्लेट नं. एस–103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर व आराजी ख0न0 1235/2 (2811/1235) रकबा 0.0380 हैक्ट., चान्दबाई पुत्री मूलसिंह हि. 2/9, शैतानसिंह पुत्र मूलसिंह हि. 5/9, भंवर सिंह पुत्र विजयसिंह हि. 2/27, महेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह हि. 2/27, श्योकंवर पत्नि स्व. विजय सिंह हि. 2/27 जाति राजपूत सा.देह खातेदार के नामान्तकरण संख्या 3253 दिनांक 04.07.2022 से स्वीकृत हुआ है। उक्तानुसार आदेश व नामान्तकरण की प्रतियां संलग्न है। पिंताम्वर एग्रो फूड्स प्रा.लि. लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ–174, फ्लेट नं. एस–103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् तहसीलदार महोदय पीपलू के आदेश क्रमांक–भू.अ./समर्पण/2022/4021 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा ग्राम सोहेला के आराजी ख0न0 2810/1235 रकबा 0.0126 हैक्ट. में से 0.0090 हैक्ट. भूमि 30 फिट चौडे रास्ते की माप में आने के कारण समर्पण करने का निवेदन किये जाने से रास्ते हेतु राजहित में करने के आदेश जारी हुए है। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सोहेला के नामान्तकरण संख्या 3272 दिनांक 25.07.2022 स्वीकृत किया गया। जिसमें ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. किस्म गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया गया। शेष भूमि आराजी ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. पिताम्बर एग्रो फूड्स प्रा.लि. लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ–174, फ्लेट नं. एस–103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉड में ही रहा है। उक्त नामान्तकरण संख्या 3272 से रास्ते की तरमीम के दौरान संहवन से आराजी ख0न0 2820/2810 रास्ते को खातेदारी, ख0न0 2821/2810 की जगह तरमीम कर दी गई तथा ख0न0 2821/2810 खातेदारी को रास्ते के ख0न0 2820/2810 की जगह तरमीम कर दी गई। आराजी ख0न0 2811/1235 रकबा 0.0380 हैक्ट. पर चान्दबाई पुत्री मूलसिंह हि. 2/9, शैतानसिंह पुत्र मूलसिंह हि. 5/9, भंवर सिंह पुत्र विजयसिंह हि. 2/27, महेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह हि. 2/27, श्योकंवर पत्नि स्व. विजय सिंह हि. 2/27 जाति राजपूत सा.देह खातेदार काबिज है तथा आराजी ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. पिताम्बर एग्रो फूड्स प्रा.लि. लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ–174, फ्लेट नं. एस–103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर की खातेदारी पर गिट्टी की सडक बनी हुई है। जिसको सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. किस्म गै.मु. रास्ता वर्तमान में पड़त है। जिसका मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा संलग्न है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 1235 रकबा 0.0506 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला, पटवार हल्का सोहेला, तह0 पीपलू में स्थित है। जिसमें प्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 का 3/4 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 06 का 1/4 हिस्सा था। वर्तमान में उक्त भूमि ख0न0 1235 का तकासमा व होने के कारण उक्त भूमि के टुकडे होकर भूमि ख0न0 2811/1235 रकबा 0.0380 हैक्ट. प्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के नाम व ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. प्रार्थी संख्या 06 के नाम व ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त ख0न0 की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियो ने गलत रूप से तरमीम कर दी गई। जिसको दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त भूमि की तरमीम करते समय भूमि आराजी ख0न0 2811/1235 की तरमीम कम कर दी गई तथा जहां पर गै.मु. रास्ता तरमीम करना था। उसके स्थान पर प्रार्थी संख्या 06 की खातेदारी दर्ज कर दी गई। उसके पश्चात गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जबकि प्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 व प्रार्थी संख्या 06 के मध्य रास्ते की तरमीम करनी थी, लेकिन प्रार्थीगण नक्शा शीट में समझ नही रखते है। इस कारण अप्रार्थीगण ने गलत रूप से बिना मौका देखे ही नक्शा शीट में तरमीम कर दी गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी संख्या 06 ने 0.0090 हैक्ट. भूमि अपने नाम पूर्व में स्थित रास्ते के सामने की थी, लेकिन गलत रूप से दुसरी दिशा में जाकर लगभग 90 मीटर के स्थान पर 315 मीटर अर्थात 0.0315 हैक्ट. भूमि गै.मु. रास्ते के रूप में तरमीम कर दी गई, जो गलत है। जिसको निरस्त किया जाकर पुनः मौके के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0न0 2811/1235 रकबा 0.0380 हैक्ट. व ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. एवं ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. गै.मु. रास्ते वाके ग्राम सोहेला की अप्रार्थीगण द्वारा गलत की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके व रकबे के अनुसार नक्शा शीट में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रतिपक्षीगण पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम सोहेला के आराजी ख0न0 2811/1235 रकबा 0.0380 हैक्ट. चान्दबाई पुत्री मूलसिंह हि. 2/9, शैतानसिंह पुत्र मूलसिंह हि. 5/9, भंवर सिंह पुत्र विजयसिंह हि. 2/27, महेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह हि. 2/27, श्योकंवर पत्नि स्व. विजय सिंह हि. 2/27 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा मालपुरा हिस्सा भंवरसिंह, महेन्द्र सिंह व श्योकंवर का दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिस पर उक्त खातेदारान् काबिज है। ग्राम सोहेला, प.म. सोहेला के आराजी ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. पिताम्बर एग्रो फूड्स प्रा0 लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ-174, फ्लेट नं. एस-103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ग्राम सोहेला पटवार हल्का सोहेला के आराजी ख0न0 2820/2810

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

रकबा 0.0090 हैक्ट. किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू के वाद संख्या 38/2022 निर्णय दिनांक 24.05.2022 के द्वारा आराजी ख0न0 1235 रकबा 0.0506 हैक्ट. में से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अनतर्गत धारा 53, 92 ए, 188 तकासमा आराजीयात अनुसार ख0न0 1235/1 (2810/1235) पिताम्बर एग्रो फूड्स प्रा.लि. लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ–174, फ्लेट नं. एस–103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर व आराजी ख0न0 1235/2 (2811/1235) रकबा 0.0380 हैक्ट., चान्दबाई पुत्री मूलसिंह हि. 2/9, शैतानसिंह पुत्र मूलसिंह हि. 5/9, भंवर सिंह पुत्र विजयसिंह हि. 2/27, महेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह हि. 2/27, श्योकंवर पत्नि स्व. विजय सिंह हि. 2/27 जाति राजपूत सा.देह खातेदार के नामान्तकरण संख्या 3253 दिनांक 04.07.2022 से स्वीकृत हुआ है। उक्तानुसार आदेश व नामान्तकरण की प्रतियां संलग्न है। पिताम्बर एग्रो फूड्स प्रा.लि. लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ–174, फ्लेट नं. एस–103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् तहसीलदार महोदय पीपलू के आदेश क्रमांक–भू.अ./समर्पण/2022/4021 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा ग्राम सोहेला के आराजी ख0न0 2810/1235 रकबा 0.0126 हैक्ट. में से 0.0090 हैक्ट. भूमि 30 फ़िट चौडे रास्ते की माप में आने के कारण करने का निवेदन किये जाने से रास्ते हेतु राजहित में करने के आदेश जारी हुए है। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सोहेला के नामान्तकरण संख्या 3272 दिनांक 25.07.2022 स्वीकृत किया गया। जिसमें ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. किस्म गै. मु. रास्ता सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया गया। शेष भूमि आराजी ख0न0 2821/2810 रकबा 0. 0036 हैक्ट. पिताम्बर एग्रो फूड्स प्रा.लि. लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ–174, फ्लेट नं. एस–103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉड में ही रहा है। उक्त नामान्तकरण संख्या 3272 से रास्ते की तरमीम के दौरान संहवन से आराजी ख़0न0 2820/2810 रास्ते को खातेदारीं, ख0न0 2821/2810 की जगह तरमीम कर दी गई तथा ख0न0 2821/2810 खातेदारी को रास्ते के ख0न0 2820/2810 की जगह तरमीम कर दी गई। आराजी ख0न0 2811/1235 रकबा 0.0380 हैक्ट. पर चान्दबाई पुत्री मूलसिंह हि. 2/9, शैतानसिंह पुत्र मूलसिंह हि. 5/9, भंवर सिंह पुत्र विजयसिंह हि. 2/27, महेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह हि. 2/27, श्योकंवर पत्नि स्व. विजय सिंह हि. 2/27 जाति राजपूत सा.देह खातेदार काबिज है तथा आराजी ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. पिताम्बर एग्रो फूड्स प्रा.लि. लिमिटेड जरिये डायरेक्टर सतेन्द्र पाल तिवारी पुत्र रामप्रसाद तिवारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. निवासी पंजीकृत कार्यालय एफ–174, फ्लेट नं. एस–103, सुमेर कॉम्पलेक्टस, गोत्तम मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर की खातेदारी पर गिट्टी की सडक बनी हुई है। जिसको सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. किस्म गै.मु. रास्ता

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान में पड़त है। जिसका मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा संलग्न है। उक्तानुसार नक्शा शीट में संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

पत्रावली में प्रस्तुत हाल नक्शा शीट एवं प्रस्तुत नक्शा ट्रेस व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि भूमि आराजी ख0न0 2811/1235 रकबा 0.0380 हैक्ट. व ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. एवं ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला तकासमा व रास्ते हेतु किये जाने के फलस्वरूप अस्तित्त्व में आये है। जिनका मुताबिक तकास्मा व अनुसार तरमीम नही की गई है। जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त त्रुटी को तहसीलदार पीपलू द्वारा भी अपने जवाब में स्वीकार किया गया है एवं मुताबिक तकासमा व अनुसार तरमीम किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 2811/1235 रकबा 0.0380 हैक्ट. व ख0न0 2821/2810 रकबा 0.0036 हैक्ट. एवं ख0न0 2820/2810 रकबा 0.0090 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला, पटवार हल्का सोहेला की हाल नक्शा शीट में की गई त्रुटीपूर्ण तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार पीपलू द्वारा तकासमा व समर्पण किये अनुसार प्रस्तावित नक्शा शीट के मुताबिक तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पीपलू विवादित आराजीयात वाके ग्राम सोहेला की डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट प्रस्तावित नक्शा शीट के अनुसार तरमीम करे। तकासमा की नक्शा शीट व समर्पण निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगा। निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)